इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 35] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 31 अगस्त 2012—भाद्र 9, शक 1934

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक, (ख)(1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 14 अगस्त 2012

क्र. ई-5-780-आयएएस-लीव-5-एक.—श्री डी.डी. अग्रवाल, आयएएस., कलेक्टर मुरैना के दिनांक 4 अगस्त 2012 से लघुकृत अकाश रहने के फलस्वरूप उनकी अवकाश अवधि में कलेक्टर मुरैना का प्रभार श्री विनोद शर्मा, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, मुरैना को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से सौंपा जाता है.

क्र. ई-5-821-आयएएस-लीव-5-एक.—श्री एस. सुहैल अली, भाप्रसे, सचिव, राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश ग्वालियर को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 31 मई 2012 द्वारा दिनांक 28 जून से 7 जुलाई 2012 तक, दस दिन का स्वीकृत अर्जित अवकाश एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है.

क्र. ई-5-879-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री नंद कुमारम्, आयएएस., मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, सिंगरौली को दिनांक 6 से 19 अगस्त 2012 तक, पन्द्रह दिन का पितृत्व अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री नंद कुमारम् को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, सिंगरौली के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री नंद कुमारम् को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री नंद कुमारम् अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. परशुराम, मुख्य सचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.

भोपाल, दिनांक 17 अगस्त 2012

क्र. एफ ए-5-10-2011-एक(1).—राज्य शासन, एतद्द्वारा उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त माननीय मुख्य न्यायाधीश/न्यायाधीशों को प्रतिमाह निम्नानुसार भत्ते स्वीकृत किये जाते हैं :—

क्र.	विवरण	सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश भत्ते की राशि (रुपये में)	सेवानिवृत्त न्यायाधीश भत्ते की राशि (रुपये में)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	सचिवालयीन भत्ता	7000	6000
2	सेवक (अर्दली) भत्ता	5000	4000
3	दूरभाष भत्ता	1000	1000
		कुल . . 13000 (रु. तेरह हजार मात्र प्रतिमाह)	11000 (रु. ग्यारह हजार मात्र प्रतिमाह)

(2) विभिन्न आयोगों, अधिकरणों या शासकीय संस्थाओं में कार्यरत सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश/न्यायाधीशों को उक्त भत्तों की पात्रता नहीं होगी.

(3) वित्त विभाग के यू.ओ. क्रमांक 1361-1368-2012-नियम-चार, दिनांक 19 जुलाई 2012 द्वारा प्रकरण में सहमति प्राप्त है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शिवानंद दुबे, सचिव.

भोपाल, दिनांक 17 अगस्त 2012

क्र. एफ. ए. 5-16-2011-एक(1).—राज्य शासन द्वारा माननीय न्यायाधिपति महोदय, श्री एस.एन. अग्रवाल, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, ग्वालियर, खण्डपीठ ग्वालियर को निम्नांकित विवरण अनुसार अवकाश स्वीकृत किया जाता है :—

अ.क्र.	अवकाश अवधि	कुल दिन	अवकाश का प्रकार	अभियुक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	दिनांक 19 से 22 जून 2012 तक	04 दिन	पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश.	अवकाश के पश्चात् में दिनांक 23 एवं 24 जून 2012 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति सहित.

क्र. एफ. ए. 5-16-2012-एक(1).—राज्य शासन द्वारा माननीय न्यायाधिपति महोदय, श्री अनिल कुमार शर्मा, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, ग्वालियर, खण्डपीठ ग्वालियर को निम्नांकित विवरण अनुसार अवकाश स्वीकृत किया जाता है :—

अ.क्र.	अवकाश अवधि	कुल दिन	अवकाश का प्रकार	अभियुक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	दिनांक 25 से 27 जून 2012 तक	03 दिन	पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश.	अवकाश के पूर्व में दिनांक 23 एवं 24 जून 2012 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति सहित.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. आर. विश्वकर्मा, उपसचिव.

संस्कृति विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 8 अगस्त 2012

क्र. एफ-11-9-2012-तीस.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, श्री मेघराज जैन, मान. सांसद मध्यप्रदेश को मध्यप्रदेश तीर्थ एवं मेला प्राधिकरण में तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विनोद कटेला, अपर सचिव.

आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 21 अगस्त 2012

''संशोधन''

क्र. विभागीय आदेश क्र. एफ-3-81-बत्तीस-2012.—दिनांक 28 अप्रैल 2012 के द्वारा खण्डवा विकास योजना (प्रारूप) 2031 हेतु मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा

17-क(1) के अन्तर्गत समिति का पुनर्गठन किया गया है. उक्त आदेश की कंडिका (ख) में अध्यक्ष, जनपद पंचायत, खण्डवा टंकित होकर प्रकाशित हुआ है. अत: कंडिका (ख) में अध्यक्ष जिला पंचायत, खण्डवा पढ़ा जावे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वर्षा नावलेकर, उपसचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 23 अगस्त 2012

फा. क्रमांक 17-ई 7-2011-इक्कीस-ब(दो).—राज्य शासन, श्री शिवकान्त पाण्डेय, चतुर्थ अपर जिला न्यायाधीश (फास्ट ट्रेक कोर्ट) दमोह को, आगामी आदेश होने तक उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर में उपसचिव के पद पर, प्रतिनियुक्ति पर एतद्द्वारा नियुक्त करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. डी. खान, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 21 अगस्त 2012

फा. क्र. 1(सी)-19-2012-इक्कीस-ब (दो).—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 52 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (8) एवं मध्यप्रदेश विशेष न्यायालय नियम, 2012 के नियम 7 के उप नियम (1) एवं नियम 8 के उप नियम 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, एतद्द्वारा, श्री आर.एन. भार्गव, उप संचालक अभियोजन, इन्दौर को मध्यप्रदेश विशेष न्यायालय अधिनियम, 2011 के अन्तर्गत गठित विशेष न्यायालय एवं प्राधिकृत अधिकारी, इन्दौर के समक्ष विचाराधीन प्रकरणों में मध्यप्रदेश शासन की ओर से संचालन हेतु पदस्थापना ग्रहण करने की तिथि से तीन वर्ष की अवधि अथवा अन्य आदेश होने तक के लिये एतद्द्वारा विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करता है.

भोपाल, दिनांक 23 अगस्त 2012

फा. क्र. 1(बी) 37-2004-इक्कीस-ब(दो).—राज्य शासन, इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 21 दिसम्बर 2009 द्वारा नियुक्त श्री महेन्द्र सिंह यादव, शासकीय अभिभाषक/लोक अभियोजक, अशोकनगर के कार्यकाल दिनांक 22 दिसम्बर 2010 को समाप्त होने के पश्चात् उनके कार्यकाल में दिनांक 21 दिसम्बर 2010 से 20 दिसम्बर 2013 तक में तीन वर्ष की अभिवृद्धि करता है. यह अभिवृद्धि इस शर्त के अधीन है कि यह नियुक्ति बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकती है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिल वर्मा, सचिव.

राजस्व विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 23 अगस्त 2012

क्र. एफ. 16-2-2012-सात-शाखा-2-ए.—मध्यप्रदेश वासस्थान दखलकार (भूमिस्वामी अधिकारों का प्रदान किया जाना) अधिनियम, 1980 (क्रमांक 4 सन् 1980) की धारा 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश वासस्थान दखलकार (भूमिस्वामी अधिकारों का प्रदान किया जाना) नियम, 1981 के प्ररुप-क में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियमों में, प्ररूप-क में, कंडिका 10 में,

(एक) उप कंडिका (3) में, अंक तथा शब्द "14 अप्रैल, 2003" के स्थान पर, अंक तथा शब्द "31 दिसम्बर, 2011" स्थापित किए जाएं;

(दो) उप कंडिका (4) में, अंक तथा शब्द "14 अप्रैल, 2003" के स्थान पर, अंक तथा शब्द "31 दिसम्बर, 2011" स्थापित किए जाएं.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजीत केसरी, सचिव.

भोपाल, दिनांक 23 अगस्त 2012

क्र. एफ. 16-2-2012-सात-शा.-2-ए.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की सूचना क्र. एफ. 16-2-2012-सात-शा.-2-ए, दिनांक 23 अगस्त 2012 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजीत केसरी, सचिव.

Bhopal, the 23rd August 2012

No. F.-16-2-2012-VII-S-2A.—In exercise of the powers conferred by Section 10 of the Madhya Pradesh Vas-Sthan Dakhalkar (Bhumiswami Adhikaron Ka Pradan Kiya Jana) Adhiniyam, 1980 (No. 4 of 1980), the State Government, hereby, makes the following amendments in the Form-A of the Madhya Pradesh Vas-Sthan Dakhalkar (Bhumiswami Adhikaron Ka Pradan Kiya Jana) Niyam, 1981, namely:—

AMENDMENTS

In the said rules, in Form-A, in Para 10,

(i) in sub para (3), for the figure, letter and word "14 April 2003" the figure, letter and word " 31st Decemebr, 2011" shall be substituted.

(ii) in sub para (4), for the figure, letter and word "14 April 2003" the figure, letter and word " 31st Decemebr, 2011" shall be substituted.

By order and in the name of the Governor of
Madhya Pradesh,
AJIT KESARI, Secy.

विभाग प्रमुखों के आदेश

श्रमायुक्त कार्यालय, मध्यप्रदेश शासन, इन्दौर

इन्दौर, दिनांक 7 अगस्त 2012

क्र. 1-2-नवम-(1)86.—मैं, संजय दुबे, श्रमायुक्त मध्यप्रदेश शासन के श्रम विभागीय आदेश क्रमांक 473-7258-16, दिनांक 24 जनवरी 1961 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश दुकान एवं स्थापना अधिनियम, 1958 (क्रमांक 25 सन् 1958) की धारा 40 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्न सारणी के स्तंभ क्रमांक (2) में दर्शाये गये श्रम निरीक्षक/श्रम उप निरीक्षकों को इसी सारणी के स्तंभ क्रमांक (3) के दर्शाये गये स्थानीय क्षेत्रों के लिये ''निरीक्षक'' नियुक्त करता हूं :—

क्रमांक	श्रम निरीक्षक/श्रम उप निरीक्षक का नाम	अधिकार क्षेत्र
(1)	(2)	(3)
1	श्री प्रेमनाराण परिहार, श्रम निरीक्षक.	संपूर्ण राज्य में सभी स्थानीय क्षेत्रों एवं सभी प्रकार के संस्थान के लिये जिन पर यह अधिनियम लागू होता है.
2	श्री अरूण मोहिते, श्रम उप निरीक्षक.	
3.	श्री अनिल बडोदिया (अजा), श्रम उप निरीक्षक.	

संजय दुबे, श्रमायुक्त.

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश

नरसिंहपुर, दिनांक 14 अगस्त 2012

क्र. 8427-सा.लि.-2012.—मध्यप्रदेश शासन, गृह (पुलिस), भोपाल के पत्र क्र. एफ 2(क) 15-99-बी-3-2, दिनांक 11 अक्टूबर 2004 के तहत जिले के भीतर थानों/चौकियों की सीमाओं के निर्धारण का अधिकार दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 2 की उपधारा एस में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये नरसिंहपुर जिला स्तरीय समिति द्वारा निम्न ग्रामों के थाना क्षेत्रों में निम्नानुसार परिवर्तन किया जाता है :—

स.क्र.	ग्रामों का नाम जिनका परिवर्तन किया गया है	पूर्व थाना क्षेत्र का नाम	वर्तमान थाना क्षेत्र का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1	बरमान नदी, सतधारा पुल ग्राम बरमान खुर्द, बरिया घाट, हेमरा, खामघाट.	थाना करेली	थाना सुआतला
2	तिरकोना, गड़पहरा, रोंसरी.	थाना मुंगवानी	थाना ठेमी

उक्त ग्राम संबंधित थानों से हटाकर वर्तमान थाना क्षेत्रों में सम्मिलित किये जाते हैं.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजीव सिंह, पदेन उपसचिव, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी.

कार्यालय, सहायक श्रम आयुक्त (रीवा), संभाग सतना, मध्यप्रदेश

सतना, दिनांक 14 अगस्त 2012

क्र. व.फ.-तीन-स.स.-2012-2314.—मध्यप्रदेश दुकान तथा स्थापना अधिनियम, 1958 (क्रमांक 25 सन् 1958) की धारा 13 की उपधारा (3-क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, तथा राज्य शासन द्वारा अधिसूचित क्रमांक 4514-2459-16-सोलह-ए, दिनांक 9 सितम्बर 1983 के अन्तर्गत प्राधिकृत मैं, जी.सी. नाग, सहायक श्रम आयुक्त, सतना (रीवा) संभाग सतना अपने कार्य क्षेत्र में धारा 13 की उपधारा (3-क) के अन्तर्गत निम्नानुसार स्तम्भ एक में उल्लेखित स्थानीय क्षेत्र के लिए स्तम्भ दो में उल्लेखित साप्ताहिक अवकाश घोषित करता हूं. यह अधिसूचना दिनांक 1 सितम्बर 2012 से प्रभावशील होगी :—

क्र.	स्थानीय क्षेत्र	साप्ताहिक अवकाश
(1)	(2)	(3)
1	नगर पंचायत, अमरपाटन लालपुर क्षेत्र का सम्पूर्ण एरिया.	मंगलवार
2	अमरपाटन नगर का अन्य सम्पूर्ण क्षेत्र (लालपुर को छोड़कर).	शनिवार

जी. सी. नाग, सहायक श्रम आयुक्त.

कार्यालय, श्रम पदाधिकारी, मण्डला (मध्यप्रदेश)

मण्डला, दिनांक 16 अगस्त 2012

क्र. बफा-श्रम.-2012-1662.—मैं, मोहन सिंह ठाकुर, सहायक श्रमायुक्त जबलपुर संभाग, जबलपुर एवं श्रम पदाधिकारी, श्रम कार्यालय, मण्डला मध्यप्रदेश दुकान एवं स्थापना अधिनियम, 1958 (क्रमांक 25 सन् 1948) धारा 13 की उपधारा (3-क) सहपठित श्रम विभागीय अधिसूचना क्रमांक 4515-3459-16-ए, दिनांक 09 सितम्बर 1983, के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मण्डला जिले की निम्नलिखित नगर पालिका/नगर पंचायत की संपूर्ण सीमा हेतु तालिका के स्तंभ क्र. (3) में उल्लेखित साप्ताहिक बंद दिन घोषित करता हूं:—

क्र.	नगरपालिका/नगर पंचायत का नाम	साप्ताहिक बंद दिवस का दिन
(1)	(2)	(3)
1	नगर पालिका परिषद्, नैनपुर	गुरूवार
2	नगर पंचायत, बिछिया	शनिवार
3	नगर पंचायत, बम्हनी बंजर	गुरूवार
4	नगर पंचायत, निवास	शनिवार

मोहन सिंह ठाकुर, सहायक श्रमायुक्त, जबलपुर एवं श्रम पदाधिकारी, मण्डला.

आर.सी.वी.पी.नरोन्हा प्रशासन अकादमी
मध्यप्रदेश, भोपाल
(विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ)

भोपाल, दिनांक 21 अगस्त 2012

क्र. 6481-2198-अका-विपप्र-2012-**संशोधन.**—राज्य शासन द्वारा विभागीय परीक्षा माह 2012 को प्रश्नपत्र-प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया तृतीय (पुस्तकों सहित) सम्पन्न हुआ था, की अधिसूचना क्रमांक 4684-2198-अका-विपप्र-2012, दिनांक 19 जून 2012 को जारी की गई थी, में जबलपुर संभाग से सम्मिलित परीक्षार्थी श्री नरेश कुमार खरे, राजस्व निरीक्षक अंकित है के स्थान पर अब श्री नरेन्द्र कुमार खरे, राजस्व निरीक्षक, पढ़ा जाए.

क्र. 6485-अका-विपप्र-2012-**संशोधन.**—राज्य शासन द्वारा विभागीय परीक्षा माह 2012 को प्रश्नपत्र पंचायत राज विधि तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित) सम्पन्न हुआ था, की अधिसूचना क्रमांक 4431-अका-विपप्र-2012, दिनांक 2 जून 2012 को जारी की गई थी, में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:—

क्रमांक	नाम अधिकारी	संशोधन
(1)	(2)	(3)
	निम्नस्तर	
	इंदौर संभाग	
01	श्री नामदेव नैय्यर राजस्व निरीक्षक	श्री रामदेव नैय्यर राजस्व निरीक्षक
02	श्री मुकेश मालवीय राजस्व निरीक्षक	श्री मुकेश मालवीय सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख.

क्र. 6488-अका-विपप्र-2012-**संशोधन.**—राज्य शासन द्वारा विभागीय परीक्षा माह अप्रैल 2012 से संबंधित अधिसूचना क्रमांक 4404-अका-विपप्र-2012, दिनांक 02 जून 2012 को प्रश्नपत्र-लेखा (पुस्तकों सहित) अंकित है के स्थान पर अब प्रश्नपत्र-उद्योग विभाग संबंधी अधिनियम तथा नियम (पुस्तकों सहित-केवल नियम एवं अधिनियम) पढ़ा जाए.

2. अधिसूचना क्रमांक 4408-अका-विपप्र-2012, दिनांक 02 जून 2012 द्वारा जारी प्रश्नपत्र-लेखा (पुस्तकों सहित) अंकित है के स्थान पर अब, प्रश्नपत्र-प्रक्रिया, विकास योजनाऐं, राज्य के साधन, राज्य के नियम, पुस्तिकाओं आदि का ज्ञान (पुस्तकों सहित) पढ़ा जाए.

3. विभागीय परीक्षा माह अप्रैल, 2012 द्वारा सम्पन्न प्रश्नपत्र-लेखा (पुस्तकों सहित) जो दिनांक 12 अप्रैल 2012, को हुआ था, में कोई भी परीक्षार्थी उत्तीर्ण नहीं हुआ है जिसकी जानकारी विभागीय पत्र क्रमांक 4439-अका-विपप्र-2012, दिनांक 02 जून 2012 जारी की जा चुकी है.

4. जबलपुर संभाग, जबलपुर से सम्मिलित परीक्षार्थी श्री विनित कुमार रजत, प्रबंधक अंकित है के स्थान पर अब श्री विनित कुमार रजक, प्रबंधक, पढ़ा जाय है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अनुराग श्रीवास्तव, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.

मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर

Jabalpur, the 20th July 2012

No. F. No. 71-B-LA-SLSA-444-2012.—In exercise of the powers conferred under Section 22-B of the legal Services Authorities Act, 1987 (as amended by Central Act No. 37 of 2002 and hereinafter referred to as the Act), the Madhya Pradesh State Legal Services Authority hereby :—

(i) establishes Permanent Lok Adalat at the place specified in Column No. (2) of the Table below, in respect of all the public Utility Services as defined in Clause (b) of Section 22A of the Act and also reproduced in the foot note of the Table below; and the Permanent Lok Adalats so established, shall exercise jurisdiction in their respective area as specified in Column No. (4) of the Table below against Permanent Lok Adalat; and

(ii) appoints, after obtaining permission and after making necessary recommendations and seeking nominations, the following officers, whose designations are mentioned in Column No. (3) of the Table below against Permanent Lok Adalat, as Chairman and Members of the aforesaid Permanent lok adalat namely :—

TABLE

S.No.	Place of the permanent Lok Adalat	Designation of the Officer		Areas in which permanent Lok Adalat shall exercise jurisdiction
(1)	(2)	(3)		(4)
1	Singrauli (Vadhan).	Dr. Vijay Kumar Agarwal, Additional District Judge, Singrauli.	Chairman	Whole of the Civil District Singrauli.
		Chief Medical & Health Officer, Singrauli.	Member	
		Executive Engineer, (Civil) PWD, Singrauli.	Member	

Note.—Public Utility Services as defined under Clause (b) of Section 22-A of the Act "Public Utility Service" means any :—

(i) Transport service for the carriage of passengers or goods by air, road, or water ; or

(ii) Postal, telegraph or telephone Service; or

(iii) Supply of power, light, or water to the public by any establishment; or

(iv) System of Public conservancy, of sanitation; or

(v) Service in hospital, or dispensary ; or

(vi) Insurance services.

and includes any service which the Central Government or the State Government as the case may be, may, in the public interest by notification declare to be a public Utility Service for purpose of the Chapter VI-A of the Act.

By order of the Madhya Pradesh State Legal Services Authority,
ANURAG SHRIVASTAVA, Member-Secy.

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला मण्डला, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

मण्डला, दिनांक /4/12, 2 मई 2012

क्र. भू-अर्जन-19-(अ-82)-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम एवं प.ह.नं.	भूमि का लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मण्डला	घुघरी	इलाही, प.ह.नं. 81	0.12	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग, जबलपुर.	पुल एवं पहुंच मार्ग हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर, मण्डला में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
स्वाति मीणा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

उज्जैन, दिनांक 4 अगस्त 2012

क्र. क्यू-भूमि संपादन-2012-6820.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (क) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उज्जैन	नागदा	पाडल्याकला	0.650	भू-अर्जन अधिकारी, नागदा	उज्जैन-उन्हेल-नागदा धिनोदा-जावरा टू-लेन स्थित रेल्वे ओव्हर ब्रिज पहुंच मार्ग.

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, नागदा में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एम. शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रतलाम, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रतलाम, दिनांक 14 अगस्त 2012

क्र. 3614-भू-अर्जन-2012-प्र. क्र. 6-अ-82-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रतलाम	जावरा	रिछाचान्दा	0.08	संभागीय प्रबंधक, म. प्र. सड़क विकास निगम, उज्जैन.	लेबड़-नयागांव (एल.एच.-79) फोरलेन निर्माणान्तर्गत सड़क चौड़ीकरण से प्रभावित छूटे सर्वे नम्बर की निजी भूमि का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, भू-अर्जन अधिकारी उपखण्ड, जावरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 3612-भू-अर्जन-2012-प्र. क्र. 7-अ-82-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रतलाम	रतलाम	भाटी-बड़ौदिया	0.280	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, रतलाम.	डेरी त्रिवेणी जलाशय योजना की दांयी तट मुख्य नहर में प्रभावित अतिरिक्त निजी भूमि का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, भू-अर्जन अधिकारी उपखण्ड, रतलाम के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजीव दुबे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

शाजापुर, दिनांक 14 अगस्त 2012

क्र. 260-भू-अर्जन-2010-प्र. क्र. 12-अ-82-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि निम्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में बताये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंध के अधीन इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

अर्जित की जाने वाली भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	कुल भूमि (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
शाजापुर	बडौद	पिपल्या जाफर	1.00	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, शाजापुर (म.प्र.).	कछाल तालाब परियोजना के अन्तर्गत नहर निर्माण बावत्.
		योग . .	1.00		

नोट.—भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी व भू-अर्जन अधिकारी आगर-बड़ौद के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 261-भू-अर्जन-2010-प्र. क्र. 13-अ-82-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि निम्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में बताये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंध के अधीन इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

अर्जित की जाने वाली भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	कुल भूमि (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
शाजापुर	बडौद	गुराडिया बड़ौद	0.63	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, शाजापुर (म.प्र.).	कछाल तालाब परियोजना के अन्तर्गत नहर निर्माण बावत्.
		योग . .	0.63		

नोट.—भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी व भू-अर्जन अधिकारी आगर-बड़ौद के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. -भू-अर्जन-2010-259-प्र. क्र. 14-अ-82-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि निम्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में बताये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंध के अधीन इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

अर्जित की जाने वाली भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	कुल भूमि (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
शाजापुर	बडौद	खेड़ा नरेला	3.12	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, शाजापुर (म.प्र.).	कछाल तालाब परियोजना के अन्तर्गत नहर निर्माण बावत्.
		योग . .	3.12		

नोट.—भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी व भू-अर्जन अधिकारी आगर-बड़ौद के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. -भू-अर्जन-2010-258-प्र. क्र. 15-अ-82-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि निम्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में बताये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंध के अधीन इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

अर्जित की जाने वाली भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	कुल भूमि (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
शाजापुर	बडौद	पिपल्या विजय	4.30	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, शाजापुर (म.प्र.).	कछाल तालाब परियोजना के अन्तर्गत नहर निर्माण बावत्.
		योग . .	4.30		

नोट.—भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी व भू-अर्जन अधिकारी आगर-बड़ौद के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रमोद गुप्ता, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला शिवपुरी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

शिवपुरी, दिनांक 17 अगस्त 2012

क्र. क्यू.-भू-अर्जन-12-778.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
शिवपुरी	पिछोर	नयाखेड़ा	329	0.09	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, जिला शिवपुरी (म.प्र.).	महुंअर मध्यम परियोजना के अंतर्गत दायीं तट नहर के निर्माण हेतु.
			330	0.05		
			336	0.01		
			337	0.10		
			339	0.05		
			340	0.01		
			344	0.07		
			346	0.03		
			347	0.08		
			348	0.06		
			350	0.02		
			359	0.01		
			364	0.06		
			365	0.12		
			368	0.04		
			369	0.05		
			370	0.04		
			371	0.17		
			503	0.02		
			504	0.05		
			508	0.04		
			509	0.01		

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			510	0.12		
			511	0.04		
			512	0.08		
			513	0.03		
			514	0.04		
			515	0.03		
			516	0.01		
			517	0.05		
			518	0.01		
			519	0.13		
			520	0.02		
			521	0.01		
			537	0.13		
			539	0.14		
			546	0.08		
			551	0.02		
			552	0.02		
			553	0.01		
			556	0.05		
			557	0.06		
			558	0.10		
			563	0.05		
			703	0.04		
			704	0.06		
			705	0.04		
			710	0.12		
			711	0.03		
			712	0.06		
			713	0.02		
			719	0.01		
			720	0.08		
			योग :	2.87		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, पिछोर, जिला शिवपुरी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

धार, दिनांक 17 अगस्त 2012

क्र. 12012-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा (4) की उपधारा (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम का नाम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
धार	मनावर	उमरबनकला	17.789	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग मनावर, जिला धार.	ढेकली (मोहाड़पुरा) तालाब योजना अंतर्गत प्रभावित होने से.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान)अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, मनावर, एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मानवर जिला धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी. बी. सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला उमरिया, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

उमरिया, दिनांक 18 अगस्त 2012

क्र. 2836-भू-अर्जन-2012-4-अ-82-11-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	कुल क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकारी	का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उमरिया	पाली	मरवाटोला	6.050	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, उमरिया.	बसाड़ व्यपवर्तन योजना
		महरोई	2.825		
		अमिलिहा	3.500		
		भिम्माडोंगरी	1.125		
		योग . .	13.500		

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बसाड़ व्यपवर्तन योजना.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. के. उपाध्याय, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

राजगढ़, दिनांक 22 अगस्त 2012

क्र. 8955-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4(2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजगढ़	राजगढ़	उमरेड़	43.800	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, नरसिंहगढ़.	उमरेड़ तालाब के डूब क्षेत्र, स्पिल चैनल एवं नहर निर्माण में आने वाली भूमि का अर्जन.
			43.800		

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, नरसिंहगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 8957-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4(2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
नहर में शेष प्रभावित भूमि					
राजगढ़	राजगढ़	कल्पोनी	3.063	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, राजगढ़.	पाड़ल्याखेड़ी तालाब की नहर में शेष प्रभावित भूमि का अर्जन.
			3.063		
डूब क्षेत्र में शेष प्रभावित भूमि					
राजगढ़	राजगढ़	रसुलपुरा	1.230	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, राजगढ़.	पाड़ल्याखेड़ी तालाब के डूब क्षेत्र में शेष प्रभावित भूमि का अर्जन.
राजगढ़	राजगढ़	बखेड़	0.608		
राजगढ़	राजगढ़	कल्पोनी	0.725		
राजगढ़	राजगढ़	पाड़ल्याखेड़ी	1.000		
			योग : 2.563		
			कुल योग : 6.626		

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. बी. ओझा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 22 अगस्त 2012

क्र. 2441-प्रशा.-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	सेमरिया	कठार	1.807	कार्यपालन यंत्री, अपर पुरवा नहर संभाग रीवा (म. प्र.).	नौवस्ता वितरक नहर के कठार माइनर नहर के निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 2443-प्रशा.-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	हुजूर	तमरा	0.558	कार्यपालन यंत्री, अपर पुरवा नहर संभाग रीवा (म. प्र.).	पवासिया वितरक नहर के तमरा माइनर नहर के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. बी. श्रीवास्तव, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सीहोर, दिनांक 8 जून 2012

प्र. क्र.-03-अ-82-11-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि अनुसूची के पद (1) में वर्णित अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सीहोर
(ख) तहसील—रेहटी
(ग) ग्राम/नगर—मठठागांव
(घ) लगभग क्षेत्रफल —6.657 हे.

खसरा नम्बर (में से) (1)	रकबा (हे. में) (2)
6/1/2	0.267
9/1	0.113
9/2	0.137
10/2	0.049
11/1	0.566
12/1	0.049
11/2	0.129
11/3	0.259
11/4	0.230
61,63,64,65,68/1	0.405
61,63,64,65,68/2	0.242
61,63,64,65,68/3	0.234
61,63,64,65,68/4	0.194
61,63,64,65,68/5	0.097
61,63,64,65,68/6	0.218
71,72,73,74,75,/1/2	0.174
71,72,73,74,75,/2	0.141
71,72,73,74,75,/3	0.016
77/1	0.097
77/2	0.129
77/3	0.161
77/4	0.141
77/7	0.396
84/1	0.113
84/2	0.283
85/2	0.064
105	0.097
106/1	0.202
106/2	0.113
106/3	0.060
106/5	0.137
107/7	0.445
108	0.287
110	0.145
111	0.267
योग . .	6.657

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—मरदानपुर उद्वहन सिंचाई योजना की मुख्य नहर.

(3) भूमि के नक्शे व (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र.-21-अ-82-11-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि अनुसूची के पद (1) में वर्णित अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सीहोर
(ख) तहसील—रेहटी
(ग) ग्राम/नगर—पथोडा
(घ) लगभग क्षेत्रफल —1.296 हे.

खसरा नम्बर (में से) (1)	रकबा (हे. में) (2)
1/6	0.846

(1)	(2)
1/14	0.016
4/1	0.211
4/2	0.130
45/1	0.069
45/2	0.024
योग . .	1.296

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है— कोलार परियोजना की मरदानपुर वितरणी की 21 आर माईनर हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय गोयल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

झाबुआ, दिनांक 16 अगस्त 2012

क्र. 2483-भू-अर्जन-2012-रा.प्र.क्र.-3-अ-82-11-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—झाबुआ
(ख) तहसील—झाबुआ
(ग) ग्राम—ढेबर
(घ) लगभग क्षेत्रफल —5.28 हेक्टर.

सर्वे नम्बर	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
1679	1.48
1677	0.25
1678/2	0.50
1670/7	0.87
1631	0.14
1564	0.17
1566	0.05
1134	0.61
1609/2	0.25
1609/3	0.35
1609/4	0.25
1609/5	0.36
निजी भूमि योग . .	5.28

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है— ढेबर तालाब के निर्माण हेतु ग्राम ढेबर का कुल निजी रकबा 5.28 हेक्टर.

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) झाबुआ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जयश्री कियावत, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सागर, दिनांक 26 जुलाई 2012

क्र. क-भू-अर्जन-2011-पूरक प्र. क्र. अ-82-11-12.— चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सागर
(ख) तहसील—शाहगढ़

(ग) ग्राम—जालमपुर, प.ह.नं. 45

(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.36 हे. (शेष निजी भूमि)

खसरा नंबर	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
736/1	1.40
736/2	0.40
736/3	0.56
योग. .	2.36

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है—सोना नाला जलाशय के बांध डूब क्षेत्र में आने वाली निजी भूमि का भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी बण्डा एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र.-1 सागर जिला सागर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

सागर, दिनांक 16 अगस्त 2012

क्र. प्र.-भू-अर्जन-12-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सागर

(ख) तहसील—सागर

(ग) ग्राम—बिजौरा, मिड़वासा, गाडरखेड़ा, रीछई

(घ) लगभग क्षेत्रफल—12.857 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
ग्राम बिजौरा	
204	1.450
205/1	0.290
205/2	0.290
205/3	0.290
205/4	0.290
205/5	0.290
205/6	0.290
205/7	0.040
206/1	0.800
206/2	0.980
206/3	1.000
206/4	0.540
172/3	0.114
172/4	0.144
172/5	0.150
172/6	0.096
146	0.045
136	0.443
137	0.045
102	0.120
104/1	0.030
104/2	0.042
81	0.015
80	0.045
79	0.060
34	0.255
33	0.120
69	0.115
68/1	0.115
68/2	0.015
65/1	0.100
65/2	0.100
57/1	0.042
57/2	0.129
56	0.114
95/1	0.052
95/3	0.268
85	0.100
86/1	0.164
86/2	0.132
32	0.085
30	0.085
29/2	0.020
28/2	0.060
28/3	0.050
27	0.030
26	0.040
24	0.050
25/1	0.120

(1)	(2)
25/2	0.066
22	0.200
योग . .	10.526

ग्राम—गाडरखेड़ा

36	0.096
37/1	0.140
33/1	0.020
33/2	0.090
22/1	0.180
14	0.036
10/1	0.055
9/1	0.042
9/2	0.048
11/2	0.006
योग . .	0.713

ग्राम—मिड़वासा

174	0.030
173	0.120
172	0.125
157	0.120
156	0.100
159/1	0.030
155	0.050
121/1	0.150
147	0.080
146/1	0.013
146/2	0.016
146/3	0.010
146/4	0.010
146/5	0.010
146/6	0.010
147/8	0.033
122	0.080
योग. .	0.988

ग्राम—रीछई

321	0.190
327	0.080
328	0.070
313	0.015
329	0.090
330	0.060
337	0.065
338	0.040
339	0.020
योग . .	0.630
महायोग . .	12.857

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिए आवश्यकता है—कंजेला जलाशय योजना के बांध एवं नहर कार्य हेतु द्वारा कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्र. 1 सागर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ई. रमेश कुमार, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

ग्वालियर, दिनांक जुलाई 2012/ 7 अगस्त 2012

प्र.क्र-03-अ-82-11-12-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—ग्वालियर
(ख) तहसील—ग्वालियर
(ग) ग्राम—करही (पाटई)
(घ) लगभग क्षेत्रफल—19.983 है.

सर्वे नं	कुल रकबा (हैक्टयर में)	अर्जित किये जाने वाला अनुमानित रकबा हेक्टयर
(1)	(2)	(3)
885	0.136	0.136
886	0.115	0.115

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
906	0.136	0.136	1043	0.125	0.125
921	0.240	0.240	1046	0.199	0.199
991	0.105	0.105	1047	0.073	0.073
992	0.021	0.021	1048	0.073	0.073
994	0.042	0.042	1049	0.063	0.063
995	0.240	0.240	1050	0.125	0.125
997	0.073	0.073	1052	0.157	0.157
998	0.105	0.105	1058	0.010	0.010
999	0.115	0.115	1059	0.010	0.010
1000	0.010	0.010	1060	0.052	0.052
1001	0.031	0.031	1061	0.011	0.011
1002	0.021	0.021	1062	0.105	0.105
1003	0.063	0.063	1063	0.115	0.115
1004	0.010	0.010	1064	0.115	0.115
1005	0.010	0.010	1065	0.105	0.105
1006	0.052	0.052	1066	0.240	0.240
1007	0.125	0.125	1067	0.125	0.125
1008	0.105	0.105	1068	0.240	0.240
1009	0.094	0.094	1069/मिन 1	0.074	0.074
1010	0.042	0.042	1069/मिन 2	0.094	0.094
1013	0.052	0.052	1073	0.115	0.115
1014	0.063	0.063	1074	0.157	0.157
1015	0.052	0.052	1079	0.021	0.021
1016	0.073	0.073	1080	0.031	0.031
1017	0.031	0.031	1081/मिन-1 क	0.052	0.052
1032	0.115	0.115	1081/मिन ख	0.053	0.053
1034	0.010	0.010	1081/मिन 2	0.115	0.115
1035	0.073	0.073	1082	0.053	0.053
1036	0.136	0.136	1083	0.512	0.512
1037	0.272	0.272	1084	0.199	0.199
1039	0.052	0.052	1085	0.115	0.115
1040	0.073	0.073	1086	0.136	0.136
1041	0.042	0.042	1087	0.115	0.115

(1)	(2)	(3)
1088	0.136	0.136
1090	0.272	0.272
1091	0.146	0.146
1092	0.136	0.136
1093	0.292	0.292
1094/मिन-1	0.303	0.303
1094/मिन-2	0.303	0.303
1099/मिन-1	0.188	0.188
1099/मिन-2	0.199	0.199
1100	0.314	0.314
1101	0.125	0.125
1102/मिन-1	0.031	0.031
1102/मिन-2	0.042	0.042
1103	0.021	0.021
1105	0.094	0.094
1106	0.042	0.042
1107	0.052	0.052
1108/मिन-1	0.126	0.126
1108/मिन-2	0.126	0.126
1110	0.167	0.167
1111	0.073	0.073
1112	0.021	0.021
1114	0.115	0.115
1152	0.063	0.063
1153	0.084	0.084
1154	0.146	0.146
1160	0.366	0.366
1161	0.157	0.157
1162	0.219	0.219
1163/मिन 1	0.162	0.162
	0.006	0.006
	2795 वर्ग फीट	0.002
	450 वर्ग फिट	0.001
1163/मिन 1	0.105	0.105

(1)	(2)	(3)
2560/1164/1164	0.209	0.209
1499	0.542	0.542
1500/1	0.136	0.136
1500/2	0.303	0.303
1507	0.240	0.240
1508	0.345	0.345
1509	0.073	0.073
1521/2/2	0.094	0.094
1522	0.355	0.355
1523	0.042	0.042
1524	0.031	0.031
1525	0.063	0.063
1527	0.094	0.094
1528	0.418	0.418
1568	0.282	0.282
1570	0.690	0.690
1580	0.449	0.449
1581	0.344	0.344
1582/मिन-1	0.031	0.031
1582/मिन-2	0.021	0.021
1583	0.063	0.063
1584	0.229	0.229
1585	0.031	0.031
1586	0.251	0.251
1587	0.522	0.522
1588	0.491	0.491
1589	0.324	0.324
1590	0.167	0.167
1591	0.157	0.157
1592/मिन-1	0.251	0.251
1592/मिन-2	0.251	0.251
1593	0.188	0.188
1594	0.010	0.010
1595	0.167	0.167
1596	0.178	0.178

(1)	(2)	(3)
1597	0.251	0.251
1599	0.136	0.136
1600	0.063	0.063
1601	0.136	0.136
	योग . . 19.983	योग 19.983

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

ग्वालियर, दिनांक 8 अगस्त 2012

प्र.क्र 30-अ-82-11-12-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—ग्वालियर
(ख) तहसील—ग्वालियर
(ग) ग्राम—पारसेन
(घ) लगभग क्षेत्रफल—10.18 हे.

सर्वे क्र.	कुल रकबा (हैक्टेयर में)	अर्जित किये जाने वाला अनुमानित रकबा हैक्टेयर
(1)	(2)	(3)
4141/3 मिन 2	0.500	0.105
4141/2	0.460	0.167
4093 मिन	0.261	0.157
4097/1	0.042	0.042
4099	0.262	0.021
4097/3	0.167	0.125
4126	2.153	0.105
4098	0.272	0.052
4066	0.470	0.063
4100	0.512	0.073
4101	1.118	0.178
4064	0.345	0.125
4067	0.366	0.084
4048	0.784	0.031
4027	0.742	0.240
4042	1.097	0.188
4044	2.613	0.125
3792	0.826	0.240
2820	0.491	0.073
3789/2	1.129	0.125
3807	0.648	0.125
3808	1.641	0.157
3812	1.338	0.199
3822/मिन 2	0.230	0.136
3823	1.108	0.052
3882	0.627	0.021
3831	1.024	0.157
3839	0.961	0.094
3832	0.418	0.094
3843	0.460	0.146
3867	0.481	0.136
3876	0.031	0.031
3872	0.826	0.094
3873	0.021	0.011
3874	0.021	0.021
3844 मिन 1/क	0.219	0.042
3841	0.564	0.042
3852	0.920	0.167
3860	0.878	0.105
3862	0.857	0.105
3869	1.170	0.251
3464/2	0.355	0.167
3462	0.410	0.115
3457	0.042	0.031
2810 मिन 4	0.313	0.105
2819 मिन 1	0.345	0.042
2824	0.784	0.125
2819/मिन 2	0.596	0.042
2825	1.327	0.157
2829/3	0.596	0.230
2830	0.157	0.042
2831	0.125	0.021
2832	0.042	0.010
2833	0.219	0.010
2834	0.063	0.063
2836	0.157	0.021
2837/2	0.115	0.063
2843	0.857	0.146

(1)	(2)	(3)
2849	0.564	0.031
2850	0.940	0.209
2863	0.961	0.219
2868 मिन 1	0.272	0.084
2869	0.972	0.240
2870 मिन 1	1.202	0.021
2873	0.888	0.167
2874	0.700	0.178
2883	0.637	0.042
2875 मिन 2	0.627	0.199
2886	0.418	0.073
2855	0.052	0.042
2925	0.794	0.178
2929	2.602	0.178
2940	0.470	0.188
2930	0.752	0.188
3098/2 मिन	0.732	0.282
3088	1.003	0.021
3089/2	0.209	0.136
3089/3	0.125	0.125
3111/2/1	0.523	0.052
3123	0.063	0.063
3124	0.070	0.042
3027	0.575	0.073
3187	0.241	0.010
3128	0.899	0.042
3130	0.700	0.073
3132	0.387	0.073
3098/2 मिन	0.732	0.063
3099/2	0.021	0.021
3107 मिन 2	0.094	0.094
3108 मिन	0.251	0.063
3105/1	0.188	0.178
3109 मिन	0.418	0.052
2902/2	1.045	0.105
626	0.219	0.073
627	0.231	0.052
628	0.136	0.021
618	0.094	0.010
619	0.178	
607	0.230	0.125
615	0.094	0.021
138/1	0.261	0.042
138/2	0.188	0.052
94/2	0.418	0.084
(1)	(2)	(3)
	योग . .	10.18

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—पारसेन तालाब से नहर के निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, जिला ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र.क्र 47-अ-82-11-12-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—ग्वालियर
(ख) तहसील—चीनौर
(ग) ग्राम—अमरौल
(घ) लगभग क्षेत्रफल—3.499 हे.

ग्राम अमरौल में नवीन नहर का निर्माण हेतु आने वाली कृषकों की भूमि का मुआवजा निर्धारण प्रस्ताव

सर्वे नम्बर	सर्वे नम्बर का कुल रकबा हेक्टर में	भू-अर्जन हेतु नहर में आने वाला रकबा हेक्टर में	रिमार्क
(1)	(2)	(3)	(4)
2222	1.233	0.046	
2227/1	1.972		
2227/2	0.878	0.049	
2229	2.163	0.189	
2230/1	0.554		
2230/2	0.564	0.180	
2231	1.076	0.230	
2190	0.575	0.081	
2191	0.564	0.082	
2192	1.547	0.240	
2193	1.797	0.219	
2195	1.005	0.136	
605	2.215	0.057	
608 मिन	2.916	0.665	
965 मिन	0.502	0.180	
969	0.125	0.027	
964/1	0.460	0.066	

(1)	(2)	(1)	(2)
970/1	0.282	0.039	
970/2	1.379	0.198	
972	4.483	0.410	
974/2	2.121	0.205	
	योग . .	3.499	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.—हिम्मतगढ़ तालाब की बांयी तट नहर की वितरिकाओं के निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. नरहरि, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 13 अगस्त 2012

पत्र क्र. 2372-प्रका.-भू-अर्जन-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सतना
(ख) तहसील—रामपुर बघेलान
(ग) नगर/ग्राम—सेल्हना पैपखार
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.040 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टे. में)
(1)	(2)
निजी खाता	
24	0.040
25	0.016
27	0.080
78	0.020
79	0.100
76	0.056
74	0.016
75	0.104
97	0.016
98	0.112
103	0.012
102	0.080
110/1	0.020
109/1	0.248
109/2	0.120
योग . .	1.040

(2) प्रमाणित किया जाता है कि दिये गये खसरा एवं रकबा के अलावा कोई रकबा शेष नहीं है.

(3) बाणसागर परियोजना पुरवा नहर में आने वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु.

(4) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

रीवा, दिनांक 16 अगस्त 2012

पत्र क्र. 2435-प्रका.-भू-अर्जन-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सतना
(ख) तहसील—रामपुर बघेलान
(ग) नगर/ग्राम—टिकुरी कोठार
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.012 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टे. में)
(1)	(2)
निजी खाता	
5	0.096
6	0.084
7	0.224

(1)	(2)
11	0.200
39	0.184
43	0.176
योग . .	0.964
शासकीय खाता	
38	0.024
86	0.024
योग . .	0.048
महायोग. .	1.012

(2) प्रमाणित किया जाता है कि दिये गये खसरा एवं रकबा के अलावा कोई रकबा शेष नहीं है.

(3) बाणसागर परियोजना पुरवा नहर में आने वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु.

(4) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

रीवा, दिनांक 17 अगस्त 2012

पत्र क्र. 2437-प्रका.-भू-अर्जन-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सतना
(ख) तहसील—रामपुर बघेलान
(ग) नगर/ग्राम—बढ़ौरा कोठार
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.267 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टे. में)
(1)	(2)
निजी खाता	
112	0.080
115	0.080
114	0.144
187	0.120
186	0.007
190	0.006
191	0.140
206	0.096
192	0.104
193	0.010
204	0.004
205	0.016
203	0.088
202	0.140
197	0.208
169	0.024
योग . .	1.267

(2) प्रमाणित किया जाता है कि दिये गये खसरा एवं रकबा के अलावा कोई रकबा शेष नहीं है.

(3) बाणसागर परियोजना पुरवा नहर में आने वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु.

(4) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 2439-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सतना
(ख) तहसील—रामपुर बघेलान
(ग) नगर/ग्राम—तपा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—6.171 हे. निजी एवं 0.344 हे. शासकीय (कुल अर्जित रकबा 6.515 हे.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टे. में)
(1)	(2)
निजी खाता	
1239	0.103
1242	0.007
1245	0.072

(1)	(2)
1246	0.024
1267	0.326
1249	0.235
1249/2	0.202
1262	0.257
1256	0.067
1258	0.120
1089	0.111
1086	0.019
1092	0.079
1094	0.072
1095	0.012
1096	0.144
1097	0.006
386	0.086
359	0.096
358	0.077
348	0.046
406	0.043
345	0.048
427	0.072
339	0.004
470	0.032
475	0.072
476	0.107
301	0.015
478	0.029
479	0.055
480	0.024
493	0.039
494	0.043
496	0.040
497	0.087
505	0.031
506	0.096
507	0.077
508	0.006
271	0.048
269	0.010
509	0.022
511	0.063

(1)	(2)
512	0.096
230	0.139
229	0.007
217	0.024
215	0.026
214	0.077
213	0.048
149	0.039
211	0.039
155	0.067
154	0.005
153	0.024
158	0.087
159	0.015
139	0.015
138	0.043
164	0.007
116	0.053
115	0.125
111	0.039
120	0.043
110	0.120
477	0.072
483	0.077
808	0.087
806	0.077
801	0.039
802	0.072
771	0.072
770	0.163
769	0.168
755	0.020
756	0.077
757	0.082
730	0.125
754	0.060
660	0.063
701	0.036
702	0.058
700	0.010
699	0.163
693	0.043

(1)	(2)
667	0.168
670	0.010
669	0.067
योग . .	6.171

शासकीय खाता (मध्यप्रदेश शासन)

1266	0.038
1089	0.048
510	0.174
123	0.060
445	0.024
योग. .	0.344

निजी खाता + म.प्र. शासन

महायोग . .	6.515

(2) प्रमाणित किया जाता है कि दिये गये खसरा एवं रकबा के अलावा कोई रकबा शेष नहीं है.

(3) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के तपा माइनर नहर II में आने वाली निजी/शासकीय भूमि/पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु.

(4) बाणसागर परियोजना पुरवा नहर में आने वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु.

(5) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. बी. श्रीवास्तव, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

शाजापुर, दिनांक 14 अगस्त 2012

क्र.-भू-अर्जन-2012-266-प्र.क्र. 11-अ-82-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दर्शाये गये अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में दर्शाये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—शाजापुर
(ख) तहसील—बड़ौद
(ग) ग्राम—फुलखेडी
(घ) लगभग क्षेत्रफल —0.80 हे.

भूमि सर्वे क्र.	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
10/2	0.03
31	0.04
32	0.13
37	0.13
60	0.20
62	0.04
194	0.23
योग . .	0.80

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—कछाल बांध की नहर.

नोट.—भूमि का नक्शा एवं (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, आगर के कार्यालय में किया जा सकता है.

शाजापुर, दिनांक 17 अगस्त 2012

क्र.-भू-अर्जन-2012-287-प्र. क्र. 1-अ-82-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—शाजापुर
(ख) तहसील—बड़ौद

(ग) ग्राम—मदकोटा

(घ) लगभग क्षेत्रफल —12.20 हे.1

सर्वे नम्बर	अर्जनीय रकबा (हे. में)
(1)	(2)
228	0.03
532	0.02
533	0.02
376	0.02
416	0.08
381	0.01
413	0.12
417	0.02
422	0.12
412	0.12
423	0.12
414	0.02
420	0.01
415	0.02
445	0.28
468	0.06
1167	0.03
1173	0.05
1180	0.08
596/2	0.06
531	0.20
572	0.11
608	0.07
1837	0.23
1839	0.08
1914	0.02
1840	0.06
1841	0.05
1925	0.14
1926/3	0.01
1179	0.16
597/1	0.07
597/2	0.09
598	0.11
709	0.29
717	0.09
712	0.11
(1)	(2)
1172	0.07
542	0.04
1184	0.22
1186	0.16
467	0.01
424	0.09
571/1	0.01
573/1	0.09
573/2	0.08
574	0.03
607/1	0.04
607/2	0.04
1185	0.08
607/3	0.04
716	0.11
466	0.01
2027	0.02
2024/1/2	0.02
2025	0.01
2019	0.02
2023	0.02
1736/2/1	0.04
1282/2	0.01
467	0.01
465/1	0.03
465/2	0.04
530	0.02
606/1	0.06
606/2	0.06
1162	0.07
1149	0.13
1155	0.07
1148	0.03
1156	0.08
1150	0.09
611/1	0.03
609/1	0.01
611/2	0.04
609/2	0.02
610/1	0.03
609/3	0.02

(1)	(2)	(1)	(2)
610/2	0.03	1981/1/3	0.01
1207	0.13	1923	0.09
1205/1	0.05	1919	0.06
1205/2	0.05	1920	0.03
1257/1/2	0.03	2052/1	0.11
1875/2	0.03	2052/2	0.03
1875/1	0.05	2046	0.18
1876	0.07	1842	0.00
1997	0.10	1843	0.06
2000	0.03	1859	0.07
2001	0.02	1284/1	0.01
1991	0.01	1285	0.04
1257/2	0.03	1711	0.07
1257/3	0.05	1705	0.06
1257/4	0.03	1708	0.04
1270	0.05	1702	0.12
1241	0.08	1709	0.04
1242	0.14	1961	0.02
1259	0.07	1437	0.01
1261	0.01	1428	0.02
1183	0.05	1417	0.12
1182	0.02	1323/1	0.15
1218	0.08	1330	0.21
1216	0.03	1320	0.07
1213	0.04	1319	0.03
1214	0.02	1329/1	0.00
1210	0.05	1996/2	0.07
1429	0.06	1281	0.15
1284/2	0.01	1341	0.01
1710	0.04	1344	0.03
1706	0.06	1347	0.01
1339	0.08	1331	0.06
1340	0.05	1995	0.04
1736/2/2	0.06	1987	0.04
1864/2/3	0.04	1994/1	0.04
1924	0.04	1988/4	0.01
1998/3	0.02	1999/1	0.02
1998/4	0.02	1935	0.01
1981/1/2	0.04	1989	0.01
1981/2	0.04	2002	0.03
1999/4	0.02	1993	0.01

(1)	(2)
1741	0.05
2005	0.05
1713	0.11
1712	0.07
1864/1	0.02
1864/2/1	0.02
1864/2/2	0.02
1865/1	0.01
1866	0.03
1867	0.10
1280/3	0.01
2007	0.03
2026	0.01
2037	0.01
2004	0.02
2008	0.26
2038	0.08
2003	0.05
1990/2	0.01
1968/2	0.02
1978/3	0.02
1936	0.01
1956	0.03
1955	0.24
1950	0.07
1374	0.03
1937	0.03
1742	0.02
1740	0.04
1864/2/4	0.02
1865/3	0.06
1877/1	0.02
1877/2	0.02
1878/2	0.01
1879/2	0.02
1878/1	0.03
2024/2	0.02
1438/4	0.05
2053	0.18
1282/1	0.05
1286/5	0.04
1346/3	0.02
1349/2	0.02
1346/1	0.04
1346/2	0.03
1981/1/1	0.03
1978/1	0.03
1968/4	0.02
1978/2	0.08
1968/3	0.01
1968/1	0.02
1934	0.10
1745	0.02
1738	0.04
1878/3	0.01
1860/2	0.08
1317	0.04
1316	0.05
1871	0.03
1873	0.07
1996/1	0.03
महायोग . .	12.20

क्र.-भू-अर्जन-2012-285-प्र. क्र. 2-अ-82-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—शाजापुर
(ख) तहसील—बडौद
(ग) ग्राम—सिंगल्या
(घ) क्षेत्रफल—4.563 हे.

सर्वे नम्बर	अर्जनीय रकबा (हे. में)
(1)	(2)
172	0.04
173/2	0.04

(1)	(2)
175	0.11
179	0.04
180	0.03
185	0.04
186/1	0.04
79	0.04
92	0.03
96	0.02
142	0.05
143	0.14
385	0.072
395/2	0.043
398/2	0.077
386	0.010
387	0.077
395/1	0.001
399/1	0.041
399/2	0.022
397	0.006
459	0.043
144	0.11
168	0.04
169	0.04
171/1	0.04
134	0.02
145	0.01
170	0.04
33	0.09
32/2	0.01
29/1	0.02
32/3	0.09
66	0.01
587	0.029
449	0.029
455	0.041
456	0.048
457/1m-2	0.001
228/5	0.024
458	0.062
461	0.018
486	0.096
460	0.002
67/1m	0.04
67/2m	0.02
70	0.09
78	0.18
83	0.09
68	0.01
8	0.01
11	0.13
13/2	0.04
13/3	0.06
17	0.02
13/1	0.13
546/2	0.082
548	0.058
582	0.041
562	0.053
563	0.072
564	0.082
566/4	0.082
581	0.001
583	0.003
16	0.01
20	0.11
31	0.18
27	0.06
450	0.038
447	0.053
437/1	0.053
448	0.091
503	0.010
504	0.010
506	0.019
403	0.250
404	0.106
437/2	0.105
494/2m2	0.019
478	0.067
495	0.043
496	0.048
585	0.031

(1)	(2)
586	0.034
588	0.050
	योग . . 4.563

क्र. 283-भू-अर्जन-2012-प्र. क्र. 03-अ-82-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—शाजापुर
(ख) तहसील—बड़ौद
(ग) ग्राम—कडवाला
(घ) क्षेत्रफल—7.33 हेक्टर.

सर्वे नम्बर	अर्जनीय रकबा (हे. में)
(1)	(2)
634/1	0.11
888	0.13
635/1	0.05
635/2	0.05
636	0.01
886	0.06
887	0.07
784	0.02
785	0.22
793	0.18
794	0.18
894/1, 894/2	0.13
894/3, 894/4	0.13
631/3	0.11
632/1	0.04
632/2	0.04
717	0.06
718	0.04
719	0.01
745/1	0.04
745/2	0.03
749/2	0.11
769	0.13
625/2	0.11
627	0.06
626	0.06
628	0.17
629	0.01
630	0.04
631/1	0.11
631/2	0.10
767/5	0.03
767/1	0.07
767/2	0.05
767/3	0.04
499	0.06
502	0.12
503	0.23
625/1	0.04
373	0.27
478	0.11
509	0.36
480	0.33
485	0.04
486	0.07
767/4	0.02
802	0.03
803/2	0.10
804	0.01
814	0.08
815	0.07
817	0.22
790	0.01
787	0.01
786/1	0.09
791	0.02
798	0.09
800	0.09
801	0.02
816	0.07
479	0.01

(1)	(2)
783/2	0.10
783/3	0.04
789	0.09
782	0.06
847	0.06
852	0.05
853	0.07
848	0.07
849	0.01
850	0.09
851	0.01
876	0.07
836	0.09
837	0.02
840/1	0.04
840/2	0.04
841	0.07
844/1	0.04
844/2	0.03
640	0.04
831	0.01
720	0.09
721	0.03
647	0.24
377	0.03
484	0.15
667	0.01
691/1	0.03
770	0.04
835	0.08
668	0.03
669	0.13
योग . .	7.33

क्र. भू-अर्जन-2012-286-प्र. क्र. 04-अ-82-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—शाजापुर
(ख) तहसील—बड़ौद
(ग) ग्राम—खजूरी बड़ौद
(घ) लगभग क्षेत्रफल—5.45 हेक्टर.

सर्वे नम्बर	अर्जनीय रकबा (हे. में)
(1)	(2)
925	0.03
939	0.03
938	0.09
940	0.02
979	0.02
941	0.01
953	0.16
978	0.05
1010	0.07
1012	0.01
1013	0.06
1130	0.07
1014	0.07
1131	0.02
1096	0.02
1077	0.03
1098	0.04
1058	0.02
1059	0.02
1060	0.02
1062	0.01
119	0.05
120	0.04
171	0.04
176	0.03
178	0.02
172	0.02
173	0.03
174	0.03
175	0.01

(1)	(2)
195	0.02
177	0.01
179	0.03
199	0.02
198	0.02
197	0.01
196मी	0.10
222मी	0.01
223	0.09
226/1	0.03
270	0.02
237	0.01
241	0.04
242	0.03
243	0.02
244	0.02
241	0.03
283	0.05
284	0.13
104	0.01
285	0.01
722मी	0.03
422मी	0.03
423मी	0.03
423मी	0.02
424	0.07
448	0.02
447/1	0.07
447/2	0.07
439	0.05
440	0.07
441	0.01
105	0.02
790	0.16
807	0.01
808	0.23
809	0.22
810	0.06
811	0.01
825	0.01
826	0.09
827	0.02
828	0.06
830	0.17
169	0.08
137	0.10
160	0.04
161	0.11
162/2	0.03
162/1	0.03
170m	0.04
119	0.09
120	0.13
063	0.02
1066	0.02
754	0.04
755	0.07
767	0.04
768	0.10
226/2	0.05
232	0.01
94	0.11
95	0.02
99	0.05
102	0.05
552	0.08
788	0.03
770	0.04
786	0.06
788	0.22
96	0.18
122	0.06
753m	0.04
103	0.06
117	0.02
118	0.05
योग . .	5.45

क्र. 284-भू-अर्जन-2012-प्र. क्र. 05-अ-82-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत:

भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—शाजापुर
(ख) तहसील—बड़ौद
(ग) ग्राम—बिलिया
(घ) क्षेत्रफल—10.04 हेक्टर.

सर्वे नम्बर	अर्जनीय रकबा (हे. में)
(1)	(2)
915m	0.07
949	0.04
915m	0.05
917	0.05
917	0.05
918	0.06
945	0.06
946	0.01
948	0.08
952	0.08
947/1	0.02
947/2	0.01
955	0.09
981	0.04
982	0.06
983	0.07
984	0.09
985/1	0.01
1085	0.10
1109	0.04
1110	0.05
1111	0.07
1108	0.01
418	0.08
446	0.12
437	0.04
1112	0.08
1113	0.01
1123	0.08
(1)	(2)
1124	0.10
1125	0.09
1129	0.02
1130	0.12
1443	0.14
1444	0.06
1445	0.04
1459	0.10
1467	0.08
1466	0.01
1468	0.12
1470	0.09
1479	0.05
1480	0.21
1482	0.02
1483	0.05
1487	0.15
1489	0.14
1490	0.02
1491	0.14
1272/2	0.04
1275	0.17
1277	0.17
1599	0.09
1600	0.02
1598	0.06
1599/2	0.10
1600/2	0.01
1601	0.29
1485	0.10
1439	0.02
1131	0.02
1132	0.05
98	0.07
97	0.07
179	0.10
122	0.08
123	0.02
124	0.01
180	0.01
125	0.01

(1)	(2)	(1)	(2)
126	0.03	1154	0.02
177	0.02	791	0.08
210	0.01	1144	0.03
197	0.02	1145	0.03
195	0.03	792/6	0.02
521	0.08	1142	0.02
531	0.03	1147	0.07
535	0.02	1148	0.05
196	0.01	1149	0.04
198	0.07	533	0.02
211	0.01	1150/1	0.03
212	0.03	1150/2	0.03
247	0.01	1151/2	0.02
248	0.01	1151/3	0.02
251	0.01	1152/4	0.05
253	0.08	1153	0.10
288	0.02	1179m	0.08
274	0.06	1180	0.05
291	0.04	720	0.01
294	0.03	1103	0.15
278	0.01	1108	0.05
275	0.03	1408	0.20
298	0.02	1107	0.01
290	0.01	1095	0.10
405	0.09	1099	0.09
406	0.02	1142	0.11
416	0.07	1143	0.05
432	0.02	1357	0.04
439	0.04	1359	0.02
412	0.09	1358	0.03
411	0.01	1360	0.02
1096	0.03	1361/1m	0.04
826	0.02	1361/2m	0.10
1263/2	0.04	1362	0.01
441	0.02	1384	0.08
442	0.05	1385	0.01
445	0.03	1388	0.01
178	0.01	1389	0.11
193	0.01	1390	0.02
292	0.01	1401/1	0.06
790	0.05	1401/2	0.05

(1)	(2)
1404/2	0.01
1403	0.07
536	0.01
537	0.01
538	0.01
539	0.01
542	0.01
544	0.01
543	0.01
545	0.01
546	0.04
547	0.02
710	0.05
711	0.08
712	0.03
721	0.02
1097	0.04
723	0.01
728	0.06
729	0.01
730	0.03
732	0.01
731	0.03
733	0.01
734	0.01
822	0.03
824	0.02
1265	0.03
1272/1	0.06
1272/3	0.01
1273	0.02
504	0.01
541	0.02
505	0.01
522	0.01
520	0.02
503	0.02
720	0.01
1091	0.01
1092	0.04
1094	0.01
1190	0.12
1202	0.17
1204	0.11
1406	0.01
1428	0.07
1429	0.07
1089	0.16
798	0.02
529	0.01
1189	0.02
1404/2	0.03
कुल योग . .	10.04

क्र. भू-अर्जन-2012-282-प्र. क्र. 06-अ-82-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—शाजापुर

(ख) तहसील—बडौद

(ग) ग्राम—भीमाखेड़ी

(घ) क्षेत्रफल—3.13 हेक्टर.

सर्वे नम्बर	अर्जनीय रकबा (हे. में)
(1)	(2)
249	0.11
289	0.11
250	0.01
255	0.09
271/2	0.22
281	0.07
291	0.17
293	0.01
294	0.02
295	0.11

(1)	(2)
309	0.04
312	0.09
314	0.03
363	0.02
367	0.16
373	0.08
374	0.03
377	0.04
383	0.07
384	0.01
377/425	0.08
417	0.13
418/3	0.22
41/1	0.06
41/2	0.06
55/2	0.02
56/3	0.03
58	0.03
112	0.01
119	0.28
120	0.07
46/1	0.01
47	0.02
114	0.20
122	0.06
53/1	0.01
316/2	0.02
316/3	0.07
70/2	0.09
324m	
324m	
324m	0.03
324m	
324m	
53/2	0.01
55/1	0.02
53/3	0.01
54	0.05
56/2	0.02
316/1	0.01
316/4	0.01
49	0.01
योग . .	3.13

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रमोद गुप्ता, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

धार, दिनांक 17 अगस्त 2012

क्र. 12008-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—धार
(ख) तहसील—कुक्षी
(ग) ग्राम—कोड़दा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—4.703 हेक्टर.

सर्वे क्रमांक	अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल (हे.में)
(1)	(2)
72	1.080
19/1	0.160
19/3	0.160
19/2	0.360
71/2	0.320
69/2	0.120
65/2	0.060
65/1	0.060
63/2	0.120
92	0.160
91	0.063
94/1	0.080
89/1	0.160
30/3/2	0.240
30/3/1	0.240
135/2	0.080
146/5/1	0.200
146/5/2	0.160
146/1/9	0.200
146/1/6	0.200
146/1/5	0.200
146/1/3	0.200
146/1/2	0.080
योग . .	4.703

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—इंदला तालाब योजना अन्तर्गत नहर निर्माण से प्रभावित होने से.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, कुक्षी तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग मनावर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

क्र. 12024-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—धार

(ख) तहसील—धार

(ग) ग्राम—पिपलीमाल

(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.050 हेक्टर.

सर्वे क्रमांक	अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि (हे.में)
(1)	(2)
2	0.468
3	0.405
4	0.177
योग . .	1.050

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—कोठडा तालाब परियोजना अन्तर्गत प्रभावित होने से.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, धार तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 1, धार के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 12032-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—धार

(ख) तहसील—धार

(ग) ग्राम—कोठडा

(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.954 हेक्टर.

सर्वे क्रमांक	अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि (हे.में)
(1)	(2)
89	0.949
219	0.200
220	0.150
223	0.150
226	0.076
227	0.480
229	0.949
योग . .	2.954

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—कोठडा तालाब परियोजना अन्तर्गत प्रभावित होने से.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, धार तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 1, धार के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी. बी. सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छिन्दवाड़ा, दिनांक 22 अगस्त 2012

क्र. 5976-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—छिन्दवाड़ा

(ख) तहसील—उमरेठ

(ग) नगर/ग्राम— ग्राम पाथरपूंजी, प. ह. नं.-02, ब. नं.-326, रा. नि. मंडल-उमरेठ

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल—0.764 हेक्टर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा नम्बर	प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
71	0.500
72	0.200
75	0.040
76	0.024
योग . .	0.764

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—दबक जलाशय योजना के अन्तर्गत बांध एवं नहर निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, कन्हरगांव परियोजना शीर्ष कार्य उप संभाग छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

क्र. 5977-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—छिन्दवाड़ा

(ख) तहसील—उमरेठ

(ग) नगर/ग्राम— ग्राम दबक, प. ह. नं.-02, ब. नं.-262, रा. नि. मंडल-उमरेठ

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल—2.284 हेक्टर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा नम्बर	प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
37/1	0.036
.64	0.096
71	0.038
72	0.024
77	0.058
86	0.737
80	0.120
82/2	0.062
83/1	0.010
83/2	0.019
84	0.017
85/1	0.082
88	0.797
85/2	0.176
70/4	0.006
65/2	0.006
योग . .	2.284

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—दबक जलाशय योजना के अन्तर्गत बांध एवं नहर निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, कन्हरगांव परियोजना शीर्ष कार्य उप संभाग छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
महेशचन्द्र चौधरी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सतना, दिनांक 22 अगस्त 2012

क्र. एफ. 1479-भू-अर्जन-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894, संशोधन 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—(म. प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला—सतना
(ख) तहसील—उचेहरा
(ग) नगर/ग्राम—रगला
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.835 हेक्टर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
440/1	0.155
439/1	0.012
430	0.143
431	0.137
431/1385	0.074
411/2	0.018
411/1	0.024
410/3	0.057
410/2	0.030
154/1	0.129
153	0.121
121/1ख	0.025
121/1ग	0.159
121/1क/2	0.077
121/1क/1	0.085
121/2	0.174
120/2	0.040
1291/3	0.073
1290/3	0.011
1356/2	0.009
536/4	0.233
536/3	0.034
543	0.015
निजी खाता भूमि योग . .	1.835

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है—नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन), जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

क्र. एफ. 1482-भू-अर्जन-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894, संशोधन 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—(म. प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला—सतना
(ख) तहसील—मैहर
(ग) नगर/ग्राम—सोनवारी
(घ) लगभग क्षेत्रफल—3.271 हेक्टर.

खसरा नं.	रकबा (हे.में)
(1)	(2)
4/1/1	0.367
4/2	0.112
7/1	0.045
7/2	0.037
8/1क, 8/1ख 8/2क, 8/2ख	0.404

(1)	(2)
9/1क, 9/1ख 9/2क, 9/2ख	0.019
42	0.199
43/1	0.042
43/2	0.121
44	0.029
45/1	0.183
46/1	0.051
46/2	0.041
64/2ख/2	0.007
66/1	0.223
772/2क	0.114
671/1	0.093
671/2	0.190
1027	0.005
1042	0.088
1068	0.063
1069	0.081
1070	0.022
1071	0.002
1103/1	0.133
1106/1	0.015
1107/1	0.010
1103/2	0.026
1104	0.075
1105	0.006
1106/2	0.123
1113/1	0.012
1113/2	0.327
1115/1	0.006
निजी खाता भूमि योग . .	3.271

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है— नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन), जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. खरे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़ (ब्यावरा), मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

राजगढ़, दिनांक 22 अगस्त 2012

क्र. 8972-भू.-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—राजगढ़
(ख) तहसील—ब्यावरा
(ग) ग्राम—कानरखेड़ी
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.863 हेक्टेयर.

सर्वे नं.	रकबा (हे. में.)
(1)	(2)
3/1	0.449
3/2	0.217
3/3	0.197
योग . .	0.863

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.— बगवाज सेमलापार मार्ग में पार्वती नदी पर बन रहे पुल एवं उसके पहुंच मार्ग में आ रही अशासकीय भूमि का अधिग्रहण.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण (1) भू-अर्जन अधिकारी, जिला राजगढ़, (2) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कार्यालय, ब्यावरा, (3) कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. सेतु निर्माण संभाग, उज्जैन के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 8974-भू.-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन (बांसखो तालाब की नहर निर्माण एवं वेस्टवियर में शेष प्रभावित भूमि) के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—राजगढ़
(ख) तहसील—राजगढ़
(ग) ग्राम—बांसखो, किला, शोभापुर एवं बावड़ीपुरा

(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.160 हेक्टेयर.

सर्वे नं.	रकबा (हे. में.)
(1)	(2)
नहर में शेष अर्जित भूमि	
ग्राम—बांसखो	
150	0.354
योग . .	0.354
ग्राम-किला	
128	0.282
129	0.198
योग . .	0.480
ग्राम-शोभापुरा	
62/145/2	0.108
51स/8	0.131
62/144/2	0.030
51स/9	0.046
51ब/6	0.035
51अ/1	0.103
51ब/3	0.081
51अ/2	0.053
51ब/7	0.101
51ब/4	0.030
51ब/5	0.023
योग . .	0.741
ग्राम-बावड़ीपुरा	
15	0.006
16	0.003
17	0.003
18	0.072
20	0.060
21/1	0.003
21/2	0.003
21/3	0.003
21/4	0.003
22	0.003
27	0.018
26	0.005
21/5	0.003
योग . .	0.185
वेस्टवियर में शेष अर्जित भूमि	
ग्राम—बांसखो	
155/171	0.400
योग . .	0.400

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यक है.—बांसखो तालाब की नहर निर्माण एवं वेस्टवियर में शेष प्रभावित भूमि हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. बी. ओझा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छतरपुर, दिनांक 28 अगस्त 2012

प्र. क्र. 27-अ-82-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—छतरपुर
(ख) तहसील—चंदला
(ग) ग्राम—परसनियां
(घ) लगभग क्षेत्रफल (निजी भूमि) —1.715 हेक्टर.

खसरा क्रमां.	अर्जित रकबा (हे.में)
(1)	(2)
1113/1	0.070
1113/3	0.170
1113/2	0.142
1113/4	0.100
1129	0.025
1131/2	0.105
1132	0.110
1133/2	0.082
1133/1	0.110
1135/2	0.051
1136/4	0.350
1140/1	0.090
1140/3	0.230
1140/5	0.080
योग . .	1.715

(2) सिंहपुर बैराज परियोजनान्तर्गत वितरक नहर हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), लवकुशनगर में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश बहुगुणा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 8 अगस्त 2012

क्र. 784-गोपनीय-2012-दो-3-1-2012 (भाग-बी).—न्यायिक अधिकारियों जिनके नाम व पदस्थापना की जानकारी पृष्ठांकन में दी गई है, को न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, प्रथम तल, उत्सादित राज्य प्रशासनिक अधिकरण बिल्डिंग, जबलपुर में पांच दिवसीय प्रशिक्षण "Application of Information and Communication Technology to District Judiciary" जो दिनांक 10 सितम्बर 2012 से 14 सितम्बर 2012 तक की अवधि के लिये आयोजित है, हेतु संचालक, न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, प्रथम तल, उत्सादित राज्य प्रशासनिक अधिकरण बिल्डिंग, जबलपुर के समक्ष दिनांक 10 सितम्बर 2012 को प्रात:काल ठीक 9.30 बजे अवश्यमेव उपस्थित होने हेतु निर्दिष्ट किया जाता है.

प्रशिक्षण की शर्तें निम्नवत होंगी:—

1. अपरिहार्य मामलों को छोड़कर, कोई भी न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण कालावधि में समायोजन की मांग नहीं करेगा. समायोजन पत्र यदि कोई हो तो संस्थान को बिना किसी बिलंब के, संबंधित जिला एवं सत्र न्यायाधीश के माध्यम से भेजा जावे, जिससे कि निदेशक समायोजन के कारणों पर विचार कर तद्नुसार प्रशिक्षण कार्यक्रम में समायोजन कर सकें.

2. न्यायिक अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे संचालक, न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, प्रथम तल, उत्सादित राज्य प्रशासनिक अधिकरण बिल्डिंग, जबलपुर के समक्ष दिनांक 10 सितम्बर 2012 को प्रात:काल ठीक 9.30 बजे अवश्यमेव उपस्थित होवें.

3. न्यायिक अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे निर्धारित पोशाक यथा काला कोट, सफेद शर्ट, ग्रे पेंट तथा काली टाई में उचित प्रकार से सुसज्जित होकर प्रशिक्षण में उपस्थित होवें तथा महिला न्यायिक अधिकारी सफेद साड़ी, ब्लाउज व काले कोट में उपस्थित होवें.

4. न्यायिक अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे जिन विधिक समस्याओं/विषयों पर चर्चा चाहते हों, को प्रशिक्षण केन्द्र के फैक्स नं. 0761-2628679 पर समय रहते अग्रिम प्रेषित करें.

5. टी. ए. एवं डी. ए. केवल शासकीय नियमों के अधीन ही देय होंगे, जिनके संबंध में निर्देश जिला एवं सत्र न्यायाधीश को भेजे जा चुके हैं.

6. प्रशिक्षण सत्र में अनुपस्थित रहने अथवा उक्तानुसार वर्णित किसी भी शर्त का उल्लंघन अनुशासनहीनता माना जावेगा.

7. न्यायिक अधिकारियों को उनके कार्यक्रम के अनुसार रेल्वे स्टेशन के प्लेटफार्म क्रमांक 1 के मुख्य द्वार पर वाहन की व्यवस्था की जावेगी, जो कि प्रशिक्षण प्रारंभ होने की तिथि के एक दिन पूर्व के दिवस को अपराह्न से शुरू होकर प्रशिक्षण के समाप्त होने की तिथि की अगली दिनांक के प्रात:काल तक उपलब्ध रहेगी. अत: न्यायिक अधिकारी, जबलपुर पहुंचने का सही समय इस कार्यालय के कार्य दिवस में प्रात: 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच, दूरभाष क्रमांक 0761-2628679 पर समयावधि रहते सूचित करें.

8. प्रशिक्षण सत्र में भाग लेने वाले न्यायिक अधिकारियों के ठहरने के लिए न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, प्रथम तल, उत्सादित राज्य प्रशासनिक अधिकरण बिल्डिंग, जबलपुर में द्वितीय एवं तृतीय तल पर अस्थायी हॉस्टल की व्यवस्था की गई है, जो कि प्रशिक्षण प्रारंभ होने की तिथि के एक दिन पूर्व के दिवस को अपराह्न से शुरू होकर प्रशिक्षण के समाप्त होने की तिथि की अगली दिनांक के प्रात:काल तक उपलब्ध रहेगी. यह भी कि यदि किसी प्रशिक्षणार्थी को उक्त अस्थायी हॉस्टल के द्वितीय एवं तृतीय तल पर, स्वास्थ्य कारणों से, ठहरने में कोई कठिनाई हो तो वह अपनी पसंद के किसी अन्य स्थान पर ठहरने की व्यवस्था कर सकेगा, जिसकी उसे पूर्व सूचना इस संस्थान को देनी होगी. इस व्यवस्था के लिये प्रशिक्षणार्थी नियमानुसार टी. ए. एवं डी. ए. क्लेम करने के पात्र होंगे.

9. (1) न्यायिक अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने साथ Laptop Computers with Peripherals एवं Software CDs प्रशिक्षण सत्र में साथ लावें. साथ ही ई-कमेटी द्वारा प्रदाय की गई अध्ययन सामग्री व उच्च न्यायालय द्वारा प्रदाय किया गया "लेपटाप संचालन मार्गदर्शिका" भी साथ लेकर आवें.

(2) प्रशिक्षण में शामिल पृष्ठांकन में दर्शित ऐसे न्यायिक अधिकारी जो यह महसूस करते हैं कि वे कम्प्यूटर ज्ञान से भिज्ञ हैं एवं उन्हें लेपटॉप प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं है, तो उन्हें यह निर्देशित किया जाता है कि वे इस संबंध में समय रहते सीधे प्रशिक्षण संस्थान को सूचित करें, ताकि आगामी कार्यवाही की जा सके.

(3) ऐसे न्यायिक अधिकारी जिनके लेपटॉप कार्यरत अवस्था में नहीं है अथवा गुम हो गये हैं, जो उन्हें यह निर्देशित किया जाता है कि वे इस संबंध में अपना प्रतिवेदन

संस्थान को समय रहते प्रेषित करें, ताकि अन्य व्यवस्थाएं की जा सकें.

10. न्यायिक अधिकारियों को प्रशिक्षण सत्र के दौरान चाय, नाश्ता तथा दिन एवं रात्रि का भोजन प्रदान किया जावेगा.

माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
सुभाष काकडे, रजिस्ट्रार जनरल.

जबलपुर, दिनांक 25 अगस्त 2012

क्र. D-4431-दो-3-34-99.—श्री डी. के. नायक, प्रभारी जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मुरैना को दिनांक 16 से 18 जुलाई 2012 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 14 एवं 15 जुलाई 2012 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री डी. के. नायक, प्रभारी जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मुरैना को मुरैना पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री डी. के. नायक उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रभारी जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. A-1716-दो-2-53-2009.—श्री महेन्द्र पी.एस. अरोरा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, श्योपुर को दिनांक 3 से 4 अगस्त 2012 तक दोनों दिन सम्मिलित करके दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री महेन्द्र पी. एस. अरोरा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, श्योपुर को श्योपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री महेन्द्र पी. एस. अरोरा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. A-1712-दो-2-14-2012.—श्री ए. जे. खान, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बालाघाट को दिनांक 21 से 25 अगस्त 2012 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 19 एवं 20 अगस्त 2012 के एवं पश्चात् में दिनांक 26 अगस्त 2012 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री ए. जे. खान, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बालाघाट को बालाघाट पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री ए. जे. खान, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
एस. के. साहा, रजिस्ट्रार.

जबलपुर, दिनांक 13 अगस्त 2012

क्र. 796-गोपनीय-2012-दो-3-250-57(भाग-31).—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 सहपठित सिविल कोर्ट्स एक्ट, 1958 की धारा 8 की उपधारा (1) एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 11 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर द्वारा निम्न न्यायिक अधिकारी को, जिनका नाम निम्न सारणी के स्तम्भ क्रमांक (2) में अंकित है और जिन्हें मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक फा. 3(बी)6-2011-इक्कीस-ब(एक) (मेरिट क्रमांक 19), दिनांक 26 जुलाई 2012 द्वारा अस्थायी तौर से (दो वर्ष की परीवीक्षा अवधि पर) मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) में नियुक्त किया गया है, उनके नाम के समक्ष स्तम्भ क्रमांक (3) में दर्शाये स्थान पर एवं स्तम्भ क्रमांक (4) में अंकित व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश तथा न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी की हैसियत से उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ किया जाता है :—

सारणी

क्रमांक	नाम	प्रशिक्षण हेतु पदस्थापना का स्थान	न्यायालय का नाम जिसके अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त एवं पदस्थ
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	श्री मनोज कुमार भाटी	राजगढ़	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, राजगढ़ के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश (ट्रेनी जज).

क्र. 798-गोपनीय-2012-दो-3-1-2012 (भाग-ए).—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों एवं मध्यप्रदेश सिविल कोर्ट्स एक्ट 1958 की धारा 8 की उपधारा (1) के साथ पठित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश निम्नलिखित व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी को पदोन्नति,पर उनके नाम के समक्ष स्तम्भ क्रमांक (4) में अंकित स्थान एवं स्तम्भ क्रमांक (6) में अंकित पद पर वरिष्ठ व्यवहार न्यायाधीश (ग्रेड-2) अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी/मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी के पद पर वेतनमान रुपये 43,690—1080—49,090—1230—56,470/- में, उनके वर्तमान पदस्थापना के स्थान पर ही दिनांक 31-7-2012 से पदस्थ करता है.

दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 12 की उपधारा (1) तथा (2)द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्नलिखित व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 को उनके नामों के समक्ष स्तम्भ (5) में अंकित जिले में मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी/अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त करता है :—

सारणी

क्रमांक	नाम	कहां से	कहां को	पदस्थापना के जिले का नाम	न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	श्री दिनेश कुमार सिंह	इटारसी	इटारसी	होशंगाबाद	व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से.

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,
सुभाष काकडे, रजिस्ट्रार जनरल.

जबलपुर, 16 अगस्त 2012

क्र. A-1597-दो-3-130-2009.—श्री आनन्द व्ही. मण्डलोई, डिप्टी रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय इंदौर खण्डपीठ, इंदौर को दिनांक 30 जून से 4 जुलाई 2012 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री आनन्द व्ही. मण्डलोई, डिप्टी रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, इंदौर खण्डपीठ, इंदौर को इंदौर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आनन्द व्ही. मण्डलोई, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो डिप्टी रजिस्ट्रार के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. A-1599-दो-3-130-2008.—श्री एम. एच. कार्निक, डिप्टी रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय इंदौर खण्डपीठ, इंदौर को दिनांक 23 से 26 जून 2012 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री एम. एच. कार्निक, डिप्टी रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय इंदौर खण्डपीठ, इंदौर को इंदौर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री एम. एच. कार्निक उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो डिप्टी रजिस्ट्रार के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. C-6519-दो-2-53-2011.—श्री एच. बी. खेडकर, लेखा अधिकारी, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 30 जुलाई से 4 अगस्त 2012 तक दोनों दिन सम्मिलित करके छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री एच. बी. खेडकर, लेखा अधिकारी, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री एच. बी. खेडकर उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो लेखा अधिकारी के पद पर कार्यरत रहते.

जबलपुर, दिनांक 24 अगस्त 2012

क्र. C-3638-दो-3-10-2012.—श्री एन. के. जैन, ओ.एस.डी. उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 6 से 9 अगस्त 2012 तक दोनों दिन सम्मिलित करके चार दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री एन. के. जैन, ओ. एस. डी., उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री एन. के. जैन उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो ओ.एस.डी. के पद पर कार्यरत रहते.

जबलपुर, दिनांक 25 अगस्त 2012

क्र. A-1714-दो-2-34-2012.—श्री आर. सी. श्रीवास्तव, ओ. एस. डी., उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 6 से 9 अगस्त 2012 तक दोनों दिन सम्मिलित करके चार दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री आर. सी. श्रीवास्तव, ओ.एस.डी., उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. सी. श्रीवास्तव, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो ओ.एस.डी. के पद पर कार्यरत रहते.

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,
एस. के. साहा, रजिस्ट्रार.

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश (सैट), जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 13 अगस्त 2012

क्र. 243-स्था.सैट-2012.—श्रीमती एम. जिल्ला, निजी सचिव, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश (सैट) खण्डपीठ इंदौर को दिनांक 5 से 15 जून 2012 तक कुल ग्यारह दिवस का लघुकृत अवकाश स्वीकृत किया जाता है, साथ ही सार्वजनिक अवकाशों के प्रारंभ एवं अंत में जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

लघुकृत अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगें जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

उक्त अवकाश से लौटने पर श्रीमती एम. जिल्ला को अस्थाई रूप से निजी सचिव उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश (सैट) खंडपीठ इंदौर को पुनः पदस्थ किया जाता है.

प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती जिल्ला उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो निज सचिव के पद पर कार्य करती रहतीं.

देवेश चतुर्वेदी, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (लेखा).